न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 167/2022 दायर दिनांक–18.08.2022

मन्नीराम उर्फ मुन्नाराम पुत्र गंगू जाति मीणा निवासी सौंथली तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं
– वादी

बनाम

1. जमनादेवी पत्नी हरीराम
2. पितराम पुत्र हरीराम
3. रामपाल पुत्र हरीराम
4. लिछमण पुत्र गंगू
5. सांवरमल पुत्र गंगू
6. हेतराम पुत्र गंगू
7. गुलाबी देवी पत्नी गंगू समस्त जाति मीणा निवासीगण सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
8. केनरा बैंक शाखा गुढा गौड़जी जरिये शाखा प्रबंधक
9. बड़ोदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बुगाला जरिये शाखा प्रबंधक
10. यूको बैंक शाखा गुढागौड़जी जरिये शाखा प्रबंधक
11. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री अशोक कुमार जांगिड़**
वकील प्रति. नं. :– **श्री विशाल सिंह**

दावा बाबत इश्तकरार हक व दुरूस्ती रिकॉर्ड

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 02.02.2023

वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वाके ग्राम सौंथली पटवार हल्का बुगाला की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 733, 734, 735 रकबा क्रमशः 0.03, 0.04, 2.24 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.31 है0 स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी स्व0 गंगू की खातेदारी काश्त की भूमि रही है, जिसको आगे वाद में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है। नकल जमाबंदी नकल नामान्तकरण वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि स्व0 गंगू की खातेदारी की रही है, स्व0 गंगू की वंशावली निम्नानुसार है:– स्व0 गंगू के पांच पुत्र संतान हुई, जिसमें हरीराम का स्वर्गवास हो चुका है, शेष चार पुत्र लिछमण, सांवरमल, हेतराम, मुन्नाराम मौजूद है तथा पत्नी गुलाबी देवी मौजूद है। स्व0 हरीराम के वारिसान में प्रतिवादी नं0 1 लगा0 3 है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से स्व0 गंगूराम का फौतगी इन्तकाल भरते समय वादी का नाम मुनाराम के स्थान पर मनीराम गलत रूप से दर्ज कर दिया जबकि उक्त मुनाराम को गांव में लोग मनीराम भी कह कर पुकारते है परन्तु वादी का सरकारी दस्तावेजों में हमेशा से ही मुाराम दर्ज चला आ रहा है। वादी को गांव परिवार में मुनाराम व मनीराम दोनों नामों से जाना जाता है। इस कारण वादी का राजस्व रिकॉर्ड में स्व0 गंगू की फौतगी इन्तकाल संख्या 364 दिनांक 20.07.2004 को भरते समय गलत रूप से मुनाराम के स्थान पर मनीराम दर्ज हो गया जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजों अनुसार सही नाम मुनाराम है और मुनाराम के नाम के तमाम दस्तावेज पहचान पत्र पैन कार्ड आदि बने हुये है और मुनाराम के नाम का ही उपयोग उपभोग करता आ रहा है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से मुनाराम के स्थान पर मनीराम दर्ज होने के कारण वादी के हक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है वादी अपनी भूमि पर कोई सरकारी सहायता प्राप्त नही कर पा रहा है। ऐसी स्थिति [illegible] रिकॉर्ड में मनीराम के स्थान पर मुनाराम दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आव[illegible]ोचित है। वादी को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 733, 734, 735 रकबा क्रमशः 0.03, 0.04, 2.24 है0 [illegible] 2.31 है0 वाके ग्राम सौंथली में मनीराम पुत्र गंगू का हिस्सा 1/6 के स्थान पर मुनाराम पुत्र [illegible] जाति मीणा सा0 देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। ऐसी हाल[illegible] दावा बाबत घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती का पेश करना आवश्यक हुआ। [illegible]वादी नं0 8, 9, 10 बैंक[illegible]के यहां से प्रतिवादीगण ने ऋण ले रखा है इसलिये उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:37:48 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 733,734, 735 रकबा क्रमशः 0.03, 0.04, 2.24 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.31 है0 वाके ग्राम सौंथली में वादी का नाम मनीराम के स्थान पर मुनाराम दर्ज करते हुए हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा शेष भूमि दर्ज खातेदारों के नाम से यथावत रखी जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जावें। अन्य सिद्वि जो चाही जाने से रह गई हो, वादी के हक में पड़ती हो वह भी दिलाई जावें।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने बाद अवलोकन दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 की ओर से वकील श्री विशाल ने अपना वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 8 लगा0 11 की तामिल सम्यक रूप होने पर इनके ओर से कोई उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी नम्बर 01 लगा0 7 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश किया गया तथा कथन किया कि वाद पत्र की सम्पूर्ण धाराओं में दर्ज तथ्य प्रतिवादीगण को स्वीकार है तथा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम उत्तरदाता को कोई ऐतराज नही है। प्रकरण में प्रतिवादीगणों द्वारा लिखित में सहमति होने पर तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक नही है। साक्ष्य वादी में स्वयं वादी मुन्नाराम उपस्थित होकर चीफ का सपथ पत्र पेश किया।

वकील पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का अवोलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगणों द्वारा घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु सहमति प्रदान की गई है। सहमति होने पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा सहमति होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि में कोई विवाद की स्थिति नही रह जाती है तो स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम सौंथली भूमि खसरा नम्बर 733, 734, 735 रकबा क्रमशः 0.03, 0.04, 2.24 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.31 है0 भूमि में वादी का नाम मनीराम के स्थान पर मुनाराम दर्ज करते हुए हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खातेदार मनीराम के स्थान पर मुनाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने का तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 02.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:37:48 IST
Reason: SelfAttested

15

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम
बईजलास नवलगढ़ दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दावा बाबत इश्तकरार हक
व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 167 / 2022 **(मन्नीराम बनाम जमना देवी आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक **02.02.2023** निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम सौंथली भूमि खसरा नम्बर 733, 734, 735 रकबा क्रमशः 0.03, 0.04, 2.24 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.31 है0 भूमि में वादी का नाम मनीराम के स्थान पर मुनाराम दर्ज करते हुए हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खातेदार मनीराम के स्थान पर मुनाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे जिन............–............ मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.02.2023 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
ए.सी.ई.एम.
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	06.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	16.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:37:48 IST
Reason: SelfAttested